

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक.-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/216

प्रार्थी रूपिन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 1147, वार्ड नं0 12 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता दलजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 1147 वार्ड नं0 12 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.02.2010 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 29.06.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 17.02.2010 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान बलजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह एवं सलीम खान पुत्र लाल खान ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश कालडा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महोदय

[Handwritten signature]
19/7/22

All identified by
me
19/07/2022